Number of Case .... Year ....
Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer
14/03/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। वादी के द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92A, 181 RTA दायर किया गया है। मुताबिक वाद-पत्र एवं बहस अधि. वादी-" ग्राम केकड़ के ख. सं. 812 की 26 बीघा भूमि पर वादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा संवत 2012 से लगातार चला आ रहा है, किंतु वादी का नाम खातेदार के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। जागीरदारी के समय से वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज थे एवं जागीरदारी भुगतान भी करते थे। 60 वर्षों से पुराना कब्जा होने के नाते वादी adverse possession के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। विवादित भूमि की किस्म राजस्व record में गै.मु. भाकर अवश्य दर्ज है, किंतु मौके पर भूमि काबिल-ए-काश्त है। दिनांक 15/03/14 को पटवारी द्वारा वादी को बेदखली की धमकी दी गई, तब वाद-कारण उत्पन्न हुआ। वादी का वाद स्वीकार करते हुए खातेदारी घोषणा की जावे एवं अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया ~~जावे~~ जावे कि वे वादी के कब्जे में दखल ना करें।" अधि. वादी द्वारा वाद के समर्थन में कुछ citations पेश किये गये, जो निम्नानुसार है- 1. Ashok chauhan v/s Amri Bai case, H'Raj High court judgement-

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of
	" Land in dispute is an agricultural land & suit is triable by Revenue court and Khatedari rights on basis of adverse possession can be declared by Revenue court."	
	2. Partha v/s Prithviraj case - " once allottee gets Khatedari rights, he acquires all rights conferred by RTA & Allotment Rules, 1970 are not applicable after acquisition of Khatedari rights."	
	3. State of Raj v/s Shankarlal - H'Raj High court judgement - " After 3 years the allottee would be conferred Khatedari rights. The provision does not require anything else but to make entries in revenue records. The allotment cancellation couldn't be made after 3 years."	
	4. मा. RAA decision dated : 30/08/76 Habib Khan v/s Tehsildar, Jodhpur case : " अपीलांट संवत 2012 के पहले से विवादित भूमि पर काबिज है उसने लगान भी जमा करवाया है, ऐसी स्थिति में RTA के तहत स्वतः ही खातेदार बन गया, केवल Record में नाम दर्ज ना होने से उसे अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता।"	
	मुताबिक जवाब - दावा प्रति. सं. 01 - " ग्राम कक ख. सं. 812 सिवाय चक	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
	भूमि है, जो वर्तमान में जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज है। इस खसरे में वादी का कब्जा कभी रहा है तो मात्र अतिक्रमी की हैसियत से रहा होगा। भूमि की किस्म गै. मु. आकर है, वादी किसीप्रकार की नियमन की पात्रता नहीं रखता है, अतः वाद खारिज फरमाया जावे।"	
	मुताबिक जवाब-दावा प्रति. सं. 02- " वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। वादी ने उक्त भूमि का कोई लगान अदा नहीं किया है। विवादित भूमि, किस्म गै. मु. आकर वर्तमान में जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज है। जो. वि. प्रा. में निजी व्यक्ति को खातेदारी देने का प्रावधान नहीं है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे।"	
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है-	
	<u>तनकी सं. 01:</u> आया मौजा केरू, तहसील व जिला जोधपुर ख. सं. 812 रकबा 26 बीघा भूमि पर खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है ?	
	<u>निर्णयः</u> वादी द्वारा adverse possession के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न साक्ष्यों, जिरह के अनुसार -"ख. सं. 812, रकबा 15415 बीघा में से जो. वि. प्रा. को 10405 बीघा आवंटित किया गया है। वादी के कब्जे काश्त की 26 बीघा भूमि जो. वि. प्रा. को आवंटित नहीं है।"	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of th...
	प्रदर्श01 - "खसरा परिवर्तनशील संवत 2056 से 2011" प्रदर्श02 - "लट्ठा रैंस वर्ष 2011" मुताबिक साक्ष्य प्रतिवादी एवं जिरह, "वाद ग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। JDA निजी व्यक्ति को खातेदारी नहीं देता है।" उपरोक्तानुसार जो. वि. प्रा. विवादित भूमि का दर्ज खातेदार वर्ष 2012 से है। वादी द्वारा वाद वर्ष 2014 में दायर किया गया, उससे पूर्व जो. वि. प्रा. द्वारा विधि-सम्मत खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है, अतः अन्य की खातेदारी भूमि पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तनकी सं. 02: आया वादग्रस्त भूमि पर वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? निर्णय: As per section 188 - "Any tenant whose right to whole or part of his holding is invaded or threatened by any person may bring a suit for PI." वर्तमान वाद में वादी tenant नहीं है, जो. वि. प्रा. tenant है। अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तनकी सं. 03: आया सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं?	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	चूंकि विवादित भूमि की किस्म गै. मु. भाकर है, अतः आवंटन योग्य नहीं है। तनकी सं. 04: आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा-काश्त नहीं है? निर्णय: चूंकि विवादित भूमि वर्ष 2012 से जो. वि. प्रा. की खातेदारी में है, अतः नियमानुसार Recorded खातेदार ही कब्जा-काश्त में है। वर्ष 2012 के बाद जो. वि. प्रा. द्वारा वादी के विरुद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः गत 11 वर्षों में वादी का विवादित भूमि पर कब्जा स्पष्ट नहीं होता है। तनकी सं. 05: आया वादग्रस्त भूमि जो. वि. प्रा. के नाम होने से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते? निर्णय: राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित भूमि का खातेदार जो. वि. प्रा. है, अन्य व्यक्ति को खातेदारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। उपरोक्तानुसार वादी का वाद-पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	